Centre for Human Rights & Social Welfare, Jaipur

13 मई 2008 के बम विस्फोटो की सरकारी तफ्तीश

13 मई	जयपुर मे सिलसिलेवार 9 बम धमाके। पहले दिन 61 लोगो की मौत 184 से ज्याादा घायल। मृतको के परिजानों को 5–5 लाख दिए जाने के घोषणा।
14 मई	कई जगह तोड़–फोड़, झड़पें, एक आतंककारी का स्कैच जारी
15 मई	कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं का दौरा, एसटीएफ गठन की घोषणा।
16 मई	हवाला से धन भेजने वाला नईम, आजमगढ़ मे गिरफ्तार, तीन और स्कैच जारी।
17 मई	सूचना देने वालो को पुलिस की 10 लाख रूपये देने की घोषणा।
18 मई	प्रभावितो को मुख्यमंत्री कोष से मदद के लिए कमेटी गठित, 25 को डेयरी बूथ आवंटित।
21 मई	मारे गए लोगो के आश्रितों के लिए 10 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा।
22 मई	घायल सुशील भार्गव की मौत।
2 जून	घायल पर्यटक आशमा की मौत।
30 जुलाई	मृतक इकबाल की पत्नी शबाना को पंत्रिका की पहल पर ससुर ने मुआवजा राशि वापस की।
23 अगस्त	साजिद मंसूरी के मेडिकल छात्रावास मे एक रात ठहरने की बात अबसर ने स्वीकार किया।
25 अगस्त	सिमी प्रमुख शाहबाज हुसैन लखनऊ मे गिरफ्तार।
26 अगस्त	शाहबाज हुसैन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर की अदालत मे पेश।
27 अगस्त	साजिशकर्ताओ ने पुलिस पूछताछ मे कहा, साथी के पकड़े जाने पर विस्फोट का लक्ष्य गोवा से हटा जयपुर बनाया।
29 अगस्त	पुलिस का खुलासा, शाहबाज अहमदाबाद धमाकों में भी शामिल था।
1 सितम्बर	बम धमाकों मे शामिल सिमी कोर ग्रुप मुखिया समेत चार गिरफ्तार।
2 सितम्बर	शाहबाज बोला, 14 मई को भेजी ई–मेल तौकीर उर्फ सुभान व अबू बंशीर उर्फ बंशर ने बनाई
7 सितम्बर	धमाको के लिए जोधपुर से भी पैसा भेजा गया था।
23 सितम्बर	आरोपियो के छद्म नाम से रहने व टिकट लेने का खुलासा।
6 अक्टूबर	शाहबाज को कोर्ट ने पुलिस को फिर दो दिन के रिमांड पर।

31 अक्टूबर	सैफ को गुजरात से जयपुर लाने के लिए कोर्ट से पुलिस से वारंट लिया।
7 नवम्बर	धमाको के घायलों के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन।
11 नवम्बर	धमाकों के अभियुक्तो की जमानत देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार।
21 नवम्बर	साजिशकर्ता शाहबाज के खिलाफ 6 प्रकरणों मे चालान पेश।
11 दिसम्बर	मोहम्मद सैफ ने अपराध स्वीकार किया।
25 दिसम्बर	गुजरात से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए सैफ को कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजा।

2009 के बम विस्फोटो की सरकारी तफ्तीश

16 जनवरी	अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए।
22 जनवरी	मोहम्मद सरवर आजमी लखनऊ में गिरफ्तार।
23 जनवरी	मोहम्मद सरवर आजमी ने माणक चौक के खंदे में बम रखना स्वीकार किया।
14 फरवरी	धमाकों मे जान गवाने वाले ताराचंद की बेटी शीतल की शादी
9 मार्च	सैफ व सरवर पर मुकदमा चलाने के आदेश।
17 अप्रेल	सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अदालत मे पेश।
24 अप्रेल	सैफुर के नारको टेस्ट के लिए एटीएस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया।
30 अप्रेल	अदालत ने सैफुर का नारकों व ब्रेन मैपिंग परीक्षण करवाने की अर्जी ठुकराई।
8 मई	सैफुर की न्यायिक अभिरक्षा।
11 मई	शाहबाज ने नारकों टेस्ट के लिए अर्जी लगाई